संख्या- 193 /2025 / 1099 /चार-2025-1832139

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषय- जनपद सुल्तानपुर में जनपदीय संग्रहालय के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1399/उ0प्र0सं0नि0-5(149)/2024-25 दिनांक 26 मार्च, 2025 तथा पत्र संख्या-1264/उ0प्र0सं0नि0-5(149)/2024-25 दिनांक 03 मार्च, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या- 2003/चार-2024-1832139 दिनांक 25 जुलाई, 2024 द्वारा जनपद सुल्तानपुर में जनपदीय संग्रहालय के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. प्रश्नगत प्रायोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 2495.08 लाख) के सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 2152.34 लाख की लागत आंकलित की गयी है। प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना- जनपद सुल्तानपुर में जनपदीय संग्रहालय के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु **रू0 2152.34 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ बावन लाख चौंतीस हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय** एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में **रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र)** अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

4. शर्तें/ प्रतिबन्धः-

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में अनावासीय भवन के रेस्टोरेशन / निर्माण कार्य से संबंधित कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अतः दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/ 2/ 2019-2 दिनाक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी /बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021 दिये गये प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय /कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(4) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दरा-2021-10/99 दिनाक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(5) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11-09-2024 में समिति द्वारा प्रदेश में किये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु उनका थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल उच्च शिक्षण संस्थान यथा-आई०आई०टी०, एन०आई०टी० व अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं से अथवा टेण्डर के माध्यम से सक्षम संस्थाओं से कराये जाने का निर्देश दिये गये। उक्त निर्णय के क्रम में प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जायेगा। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(7) प्रायोजना के विस्तृत आगणन (डी०पी०आर) में दरें उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-272 कैम्प / मु०अभि० (भवन) / 2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-294 कैम्प / मु०अभि० (भवन) / 2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अनुसार एवं वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी हैं। कतिपय ऐसी कार्यमदें जिनकी दरें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। बाजार दरों / कोटेशन पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(8) प्रायोजनान्तर्गत वी0आर0वी0 सिस्टम 550 एच0पी0 का प्रावधान किया गया है। वी0आर0वी0 सिस्टम की स्थापना का कार्य न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्युत संयोजन हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जायेगा। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी। उक्त अनुमन्य धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में कोई अन्तर आता है तो वास्तविक धनराशि ही अनुमन्य धनराशि मानी जायेगी एवं प्रायोजना के पुन: प्रभाग से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 18 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(13) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(15) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(18) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। राजस्व पक्ष से सम्बन्धित व्यय का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक के संगत मद में उपलब्ध प्राविधान से सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(20) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(22) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2025 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(24) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(25) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(26) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(27) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(28) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(29) उपरोक्तानुसार परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित / स्वीकृत लागत का विवरण संलग्न है।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 5,00,00,000.00 (रूपये पांच करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202041061600 जनपद सुल्तानपुर में संग्रहालय के नये भवन का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-449 -X-2024-25-दिनांक 30-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई- 11, अयोध्या। ई-मेल- uppclunit11fzb@gmail.com
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 193 /2025 / 1099 /चार-2025-1832139 दिनांक 30 मार्च, 2025 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

(लागत लाख रू0 में)

क.सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			समिति द्वारा अनुमोदित लागत			कमी
			मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
			विस्तृत आगणानुसार			विस्तृत आगणानुसार			
I	**Development & Beautification of Museum, Sultanpur (G+1) 3862.36 Sqm**	Sqm.	3862.36			3862.36			
	COST OF MUSIUM								
1	COST OF CIVIL WORKS				687.57			667.57	-20.00

(लागत लाख रू0 में)

क.सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			समिति द्वारा अनुमोदित लागत			कमी
			मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
2	RCC Dome 5-10.7x10.7	SFT	6159.56	2500.00	153.99	6159.56	2250.00	138.59	-15.40
3	VRV / VRF System	HP	599.43	42581.09	255.24	550.00	42581.09	234.20	-21.05
4	Solar Photo Voltaic Power Generation System	KWP	25.00	42581.09	10.65	On Sr. 29		0.00	-10.65
5	Providing Retro-reflective regulatory sign boardas per direction of Engineer-in-charge.	SQM	3600.00	5937.43	213.75	On Sr. 30		0.00	-213.75
6	DG Set	KVA	125.00	8417.19	10.52	On Sr. 31		0.00	-10.52
	Total				**1331.72**			**1040.36**	**-291.36**
7	Cost of Internal Water supply/Sanitary Installation	Rs. Lacs	1331.72	4.00%	53.27	1040.36	4.00%	41.61	-11.65
8	Civil External Service Connection	Rs. Lacs	1331.72	1.25%	16.65			0.00	-16.65
9	Power wiring ,pluge,	Rs. Lacs	1331.72	4.00%	53.27	1040.36	4.00%	41.61	-11.65
10	light conductors	Rs. Lacs	1331.72	0.25%	3.33			0.00	-3.33
11	Electrical External service Connection	Rs. Lacs	1331.72	3.75%	49.94	On Sr. 35	0.00%	0.00	-49.94
12	Internal Electrification	Rs. Lacs	1331.72	12.50%	166.47	1040.36	12.50%	130.05	-36.42
13	Internal Furniture work	Rs. Lacs			99.87			99.87	0.00
14	Horticulture Work	Sqm	6300.00	227.18	14.31	6300.00	227.18	14.31	0.00
15	Footh path withCC base 60mm thick paver block. Road length 250RM and 3 m wide	Sqm	900.00	2155.27	19.40	900.00	2155.27	19.40	0.00
16	External sewage	RM	550.00	2774.18	15.26	550.00	2774.18	15.26	0.00
17	Storme water Drain	RM	550.00	7390.53	40.65	550.00	7390.53	40.65	0.00
18	Boundry wall 1.5 m Height L=350.65 RM With MS Gate	RM	550.00	7914.78	43.53	550.00	7914.78	43.53	0.00
19	Fire Fighting work	sqm	3863.12	873.76	33.75	3863.12	873.76	33.75	0.00
20	Automatic fire alarm system	Sqm	3863.12	436.88	16.88	3863.12	436.88	16.88	0.00
21	Street Light	sqm	6555.55	116.50	7.64	6555.55	116.50	7.64	0.00
22	CC TV system	sqm	3862.38	152.91	5.91	On Sr. 32		0.00	-5.91
23	Rain water harvesting	RM	1585.00	2774.18	43.97	1585.00	2774.18	43.97	0.00
	Total				**2015.81**			**1588.89**	**-426.92**
24	CONTINGENCIES	Rs. In Lacs	2015.81	1.00%	20.16	1588.89	1.00%	15.89	-4.27
	Total				2035.97			1604.78	-431.19
25	LESS 5% DUE TO DEPARTMENT WORKING	Rs. In Lacs	2035.97	-5%	-101.80	1604.78	-5%	-80.24	21.56
	Total				**1934.17**			**1524.54**	**-409.63**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(लागत लाख रू0 में)

क.सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			समिति द्वारा अनुमोदित लागत			कमी
			मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
26	CENTAGE CHARGES	Rs. In Lacs	1934.17	10.0%	193.42	1524.54	10.0%	152.45	-40.96
27	LABOUR CESS	Rs. In Lacs	1934.17	1%	19.34	1524.54	1%	15.25	-4.10
28	G.S.T.	Rs. In Lacs	1934.17	18%	348.15	1524.54	18%	274.42	-73.73
	Total				**2495.08**			**1966.66**	**-528.42**
	Bought out Item								
29	Solar Photo Voltaic Power Generation System (PAR-DRS-2023)	KWP	On Sr. No. 4		0.00	25.00	42581.09	10.65	10.65
30	Providing Retro-reflective regulatory sign boardas per direction of Engineer-in-charge. (DSR- 16.61)	SQM	On Sr. No. 5		0.00	1800.00	5937.43	106.87	106.87
31	DG Set (DSR 2023 PAR)	KVA	On Sr. No. 6		0.00	125.00	8417.19	10.52	10.52
32	CC TV system (PAR-DRS-2023)	sqm	On Sr. No. 22		0.00	3862.38	152.91	5.91	5.91
	Total Bought out items				**0.00**			**133.95**	**133.95**
33	GST -18 % on Bought out itmes	Rs. In Lacs	0.00	18%	0.00	133.95	18%	24.11	24.11
34	Third Party Quality Contrl	Rs. In Lacs			0.00	1524.54	0.50%	7.62	7.62
35	Electrica Connection-Electricity Department	Rs. Lacs	On Sr. 11		0.00			20.00	20.00
	Total Project Cost				**2495.08**			**2152.34**	**-342.74**

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।